

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या : 02/2021
(अपील संख्या : 910/2020)

विष्णु शंकर पालीवाल

—अपीलार्थी

बनाम

श्री सूरज भान सिंह, मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, राजस्थान सरकार
जोधपुर (राज.) एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.10.2024

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उनके द्वारा जाहिर किया गया कि अधिकरण के आदेश दिनांक 16.09.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 22640/2018 के आदेश दिनांक 18.09.2019 के द्वारा स्थगित किया गया है। अतः अधिकरण के समक्ष उक्त आदेश की अवमानना का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

अतः उक्त आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र को ड्रॉप किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य